संख्या-589/2025/79/22-2-2023-17(1200)/2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तिलकधारी पुत्र श्री हरिहर मौर्या, निवासी जनपद-वाराणसी की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-11/प्रोवेशन-6/222/गणतंत्र, दि0.2023, दिनांक 02 जनवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तिलकधारी पुत्र श्री हरिहर मौर्या, ग्राम-बनकट, थाना-कपसेठी, जनपद-वाराणसी का निवासी है। बंदी ने दिनांक 20.12.2002 को कुमारी प्रमिला (उम्र लगभग 12/13 वर्ष) द्वारा बलात्कार का विरोध करने के कारण उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र सं0-127/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376/511, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय सं0-3), वाराणसी के आदेश दिनांक 01.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2023 तक अपरिहार 20 वर्ष, 01 माह 05 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 08 माह 03 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बंदी द्वारा लगभग 12-13 वर्षीय प्रमिला नामक बालिका के साथ बलात्कार करने के विरोध में की गयी हत्या जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा एवं जनहित प्रभावित होगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018 दिनांक 01 अगस्त, 2018 व शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0 /2018 दिनांक 28 जुलाई, 2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018 दिनांक 27 मई, 2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी तिलकधारी पुत्र श्री हरिहर मौर्या की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी तिलकधारी (बन्दी संख्या-42961) पुत्र श्री हरिहर मौर्या, निवासी जनपद-वाराणसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-589/2025/79(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।